

Stamp  
03.11.17

COMBINED TITLE PAGE AND TABLE OF CONTENTS  
FILE

प्रति सूरी  
Complainant  
Applicant

Accused

Opposite party

सुभाष प्रसाद रॉ  
पृष्ठ 5

IN THE COURT OF SUB - DIVISIONAL MAGISTRATE, SADAR CHAIBASA

Misc. Case No ..... 19/2017 ..... of 20 .....

Section of the Indian Penal Code or other law ... v/s 107 Cr.p.c. ....

Date of the Decision of the original Court ... ..

Date of decision of Appellate or Revisional Court ... ..

TABLE OF CONTENTS

1	2	3	4	5	6
Serial number of Paper	Sheets	Description	Value of Court fee Stamps	Period for which to be preserved	Remarks

प्रताप सुन्दी ①

बनाम

सुभाष प्रसाद खं

अथ 5

Schedule XIII High Court No. (1) 01 (M) 199

FORM OF ORDER SHEET

Court of the sub-Divisional Magistrate,  
Sadar Chaibasa

Misc. Case No. 19/2017

U/S 107/113/116 (III) Cr.P.C.

Date of Order	Order with the Signature of the Court	Office action
20.03.17	<p>Perused the Police report a S.I of Police मुफ्फरसिल थाना Police Station/petition of the petitions/S.D.O/C.O मुफ्फरसिल थाना प्रतिवेदन थप्राथमिकी सं - 06/17 for taking action U/s 107/113/116 (III) Cr. P.C. against the member of the Bath Parties whereas on perusal of the Police report, I feel satisfaction that there exists serious apprehension of breach of the peace at the instant of the member of Bath party due to जमीन विवाद का लोकर</p> <p>and that prevention of which urgently required. I in exercise of my power u/s 107 Cr.P.C. do hereby call upon the member of Bath parties to apper before me an 12.04.2017 and like their show cause and to why should not be ordered to execute bound of 5,000/- with securities of the like amount each to keep peace for a period of one year.</p> <p>Subdivisional magistrate Sadar chaibasa</p>	

04.17  
 शामिल हो उपस्थापित किया गया। नौरिस का नामिला  
 प्राप्त है। प्रथम पक्ष प्रताप सुब्बा उपस्थित है।  
 द्वितीय पक्ष के सदस्य ① राकेश कुमार सिंह ② सुभाष  
 प्रसाद ③ हरेंद्र सिंह ④ हीरालाल पासवान ⑤ किमल  
 चर्मा ⑥ रोहित इन्द्रजित कालतनामा के साथ उपस्थित  
 हैं एवं डा. हरेंद्र कुमार की मांग की गई है।

~~04.05.17~~  
 दिनांक 05.05.17  
 को मर्यादा की जाती है।  
 17/05/17

05.05.17  
 शामिल हो उपस्थापित। शंभल अधिकारी सदर के द्वारा मांग  
 प्रतिवेदन प्राप्त है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य उपस्थित हैं  
 एवं उनके द्वारा डा. हरेंद्र कुमार की मांग की गई है।  
 प्रथम पक्ष के द्वारा डा. हरेंद्र कुमार को शामिल किया गया है।

उक्त पक्ष के सदस्य उपस्थित हैं।  
 दिनांक 26.05.17 को मर्यादा  
 की जाती है।  
 05/05/17

26.05.17  
 शामिल हो उपस्थापित। प्रथम पक्ष के सदस्य उपस्थित हैं।  
 द्वितीय पक्ष के चार सदस्य उपस्थित हैं एवं उनके द्वारा  
 डा. हरेंद्र कुमार को शामिल करने हेतु मांग की गई है।  
 शामिल दिनांक 16.06.17 को रहे।

अनुपम

stc filed  
 by let post



16.06.17

अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रथम पक्ष के सदस्य अनुपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष के पांच सदस्यों के साथ डा/टा/प्रिन्ट करके ईर समग्र की भांग की गई है। बाद में प्रथम पक्ष उपस्थित है।

अगली तिथि दिनांक 14.07.17 को मजदूरों से जारी है।

16/06/17

14.07.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य उपस्थित हैं एवं उनके साथ डा/ट/ईर समग्र की भांग की गई है।

अगली तिथि दिनांक 11.08.17 को मजदूरों से जारी है।

14/07/17

11.08.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के चार सदस्य साथ डा/ट/ईर समग्र की भांग की गई है। पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक कार्य में बसते हैं।  
अभिलेख दिनांक 08.09.17 को रखें।

08.09.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य उपस्थित हैं एवं उनके साथ डा/ट/ईर समग्र की भांग की गई है। पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक कार्य में बसते हैं।  
अभिलेख दिनांक 26.09.17 को रखें।

14/07/17

26.09.17 अगिल्लेय उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के सदस्यों के लक्ष्य हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पक्ष उपस्थित है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अगिल्लेय दिनांक 17-10-17 को शुरू।

17.10.17 अगिल्लेय उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के चार सदस्य उपस्थित हैं। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अगिल्लेय दिनांक 03.11.17 को शुरू।

03.11.17 अगिल्लेय उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य उपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष के चार सदस्य उपस्थित हैं। एवं एक अनुपस्थित है।

Period of proceeding overdue  
Case to be dismissed.

of  
13/11/17